न्यायालय जिला कलेक्टर एवं प्रथम अपील अधिकारी,टोंक

प्रकरण संख्या 49/2020
प्रविष्टि दिनांक 12-11-2020

सुरेश कुमार रेगर पुत्र श्री दुर्गालाल रेगर निवासी देवली गॉव तह0 देवली जिला-टोंक
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 कलेक्टर (पुनर्वास) भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली।
--प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 10-12-2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 कलेक्टर (पुनर्वास) भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली को आवेदन पत्र दिनांक 8-9-2020 को प्रेषित कर निम्न सूचना चाही गई थी :-

1-आप द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के किस नियम द्वारा कोटेशन मॉगे गये नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
2-आपके कार्यालय द्वारा तीनों फर्मो से उपापन संस्था द्वारा कोटेशन मांगे जाने की प्रमाणित प्रति ।
3- कोटेशन प्रस्तुत काने वाली फर्मो की प्रति उपलब्ध करावें।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 कलेक्टर (पुनर्वास) भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 कलेक्टर (पुनर्वास) भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के सम्बन्ध में जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्र कमांक 555 दिनांक 3-10-2020 से अवगत कराया कि आवेदक को पत्र कमांक 792 दिनांक 23-10-2020 से डाक द्वारा सूचना भिजवाई जा चुकी है। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जवाब की प्रति भिजवाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को कार्यालय की सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 कलेक्टर (पुनर्वास) भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:05:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner